

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक,
श्री कचरेमल साहसवत प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
शादाबाद हाथरस।

पत्रांक: 5969/टी-3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति/लखनऊ : दिनांक 14/10/2011, 2011
विषय: स्थायी समिति/विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विजी औ0प्र0 केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय राजगार एवं प्रशिक्षण, डी0जी0ई0टी0 नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके संस्थान से सम्बन्धित स्थायी समिति/विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 13-05-2011 पर दिनांक 30-06-2011 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उपरोक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका उद्धरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है:-

| क्रम सं० | व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुसंधान किया गया। | संस्तुति की गयी | | अभ्युक्ति |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | स्थायी समिति द्वारा | डीजी0ई0टी0 द्वारा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1- | Electrician Addl. 4 units | - | Addl. 4 unit Total 12(4+4+4) | DIR-13/05/11 .. w.e.f. Aug.2011 |
| 2- | Fitter Addl. 3 units | - | Addl. 3 unit Total 9(3+3+3) | |
| 3- | Draughtsman Civil Addl. one unit | - | Addl. one unit Total 3(1+1+1) | |
| 4- | Mechanic Diesel Addl. one unit | - | Addl. one unit Total 3(1+1+1) | |
| 5- | Welder Addl. one unit | - | Addl. one unit Total 3(1+1+1) | |
| DGET-6/24/21/2006 -TC | | DATED 30/06/2011 | | |

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस0सी0आई0आर0-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस0आई0आर0-पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी0आई0आर0-विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट

2. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयावधिगत करके अपनी आख्या बिन्दुवार साक्ष्य सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अधिलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वांछित व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,

(राहण देव) 2011
अपर निदेशक, प्रशि/शिभु

पत्रांक 5969/टी-3/रा0प0/भा0सं0संस्तुति/ तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि/शिभु) बरेली को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष बिन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यावसायिक परीक्षा परिषद् अलीगंज, लखनऊ।

(राहण देव) 2011